

**प्रेस नोट**

**थाना – अहरौला**

**चोरी गये साइकिल के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 27.03.2024 को वादी मुकदमा श्री सचिन सिंह पुत्र संजय पाल सिंह निवासी ग्राम गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि वादी की नीलकण्ठ पावर टेक्नोलाजी प्रा0लि0 के नाम से फैक्ट्री में बृजराज यादव लेकर अपनी साइकिल बाहर खड़ा किया गया जिसे एक बाल अपचारी द्वारा साइकिल को चुरा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 379 भादवि बनाम 01 बाल अपचारी पंजीकृत किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 28.03.2024 को उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को चोरी गये 01 साइकिल के साथ कलवरिया नहर पुलिया के पास से समय 12.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

**थाना बिलरियागंज**

**अवैध असलहा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व घटना विवरण –**

अभियुक्त अमरनाथ कन्नौजिया पुत्र रामदेव निवासी पटवध सरैया थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा पूर्व में वर्ष 2018 में अपनी पत्नी को लाठी डण्डा से मारपीट घायल कर दिया गया था और इलाज के दौरान अभियुक्त की पत्नी आरती में मौत हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानी पर मु0अ0सं0 164/18 धारा 304 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त जमानत पर आकर पुनः अपनी पुत्री से तेल से मालिश कराने के बहाने अश्लील हरकत किया गया तथा विरोध करने पर मारना पीटना व कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/24 धारा 354/323/506 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त अमरनाथ उपरोक्त को आज दिनांक 28.03.2024 को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक 28.03.2024 को उ0नि0 उमाशंकर तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान श्रीनगर सियरहा से बसिला जाने वाले मार्ग एक व्यक्ति अमरनाथ कन्नौजिया पुत्र रामदेव निवासी पटवध सरैया थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ को समय 13.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. अमरनाथ कन्नौजिया पुत्र रामदेव निवासी पटवध सरैया थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

**बरामदगी-**

• अवैध 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

**पंजीकृत अभियोग-**

• मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 164/2018 धारा 304 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 93/2024 धारा 354/323/506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 उमाशंकर तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2. का0 विनोद गिरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3. का0 विरेन्द्र कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**थाना सरायमीर**  
**दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/ -**

दिनांक 15.03.2024 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं। जिसका मुकदमा चल रहा है। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। लेकिन मेरे ससुर कोमल और जेठान बन्दना पत्नी रंजीत निवासी उपरोक्त मुझे घर में रहने नहीं दे रहें और ना खाना नहीं बनाने देते हैं। मुझे हमेशा मारते पीटते हैं और गाली देते हैं और शाम को मेरे ससुर शराब पीकर मुझसे छेड़खानी करते हैं, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-122/2024 धारा 354क/323/504/506/भादवि बनाम कोमल पुत्र राजादीन व बन्दना रंजीत निवासीगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर तथा आवेदिका के बयान 164 सीआरपीसी के आधार पर धारा 376 की बढोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 28.03.2024 प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कोमल पुत्र राजादीन निवासी ग्राम पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष को नन्दाव बाजार से समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 354क/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, बढोत्तरी धारा 376 भादवि।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. कोमल पुत्र राजादीन निवासी ग्राम पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 262/2022 धारा 498-ए, 323, 504, 506 भादवि, व 3/4 डीपी एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाले टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**थाना- कोतवाली**  
**चोरी गये मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना / इतिहास -**

दिनांक 27.3.24 को वादी शैलेन्द्र कुमार चौहान पुत्र गुलाब चन्द्र चौहान मु0 नरौली पो0 सदर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी दुकान नरौली पुल के पास मड़्या जयरामपुर में है। मैं अपनी दुकान पर सो रहा था कि वहाँ पर कोई आकर मेरी 2 मोबाइल और पर्स चोरी कर लिया, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 180/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-**

दिनांक 28.3.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन मद्धेशिया पुत्र गोपाल मद्धेशिया साकिन राहुल नगर मड़्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को समय 04.45 बजे ठण्डी सड़क से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। कब्जे से चोरी की दो अदद मोबाईल फोन, एक आधार कार्ड, एक अदद पैन कार्ड बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1- चन्दन मद्धेशिया पुत्र गोपाल मद्धेशिया साकिन राहुल नगर मड़्या थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:** दो अदद मोबाईल फोन, एक आधार कार्ड, एक अदद पैन कार्ड

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 180/24 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास -**

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	2/18	41/411/414	भादवि कोतवाली	आजमगढ़
2	318/17379/411	भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
3	319/17379/411	भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
4	324/20307/34	भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
5	443/17379/411/419/420	भादवि	कोतवाली	आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम -** उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 यश सिंह पटेल, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, आरक्षी गौरव जायसवाल, कां0 हीरालाल, कां0 संदीप यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

## प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**थाना कंधरापुर: गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये**

### जुर्माना

➡ दिनांक-21.05.2005 को वादी मुकदमा परमहंस राम पुत्र धमई निवासी गौरीनरायण पुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 178/2005 धारा 304/34/504 भादवि बनाम 1. संतोष पुत्र बनवारी, 2. राजेश पुत्र सुन्दर राम, 3. राधे श्याम पुत्र दुर्बल्ली, 4. एक बाल अपचारी समस्त निवासी गौरीनरायणपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 28.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. संतोष पुत्र बनवारी, 2. राजेश पुत्र सुन्दर राम, 3. राधे श्याम पुत्र दुर्बल्ली समस्त निवासी गौरीनरायणपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।